न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2020/0298 दर्ज तिथिः–03.01.2020

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला–अलवर।

................प्रार्थी

बनाम

1. दाताराम पुत्र गुलाब चन्द जाति नाई निवासी जैतपुर ब्राह्मण तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थीः–प्रार्थीगण स्वयं।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–84, 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि दिनांक 21.10.2019 को श्योदान बलाई पुत्र सेढूराम निवासी जैतपुर ब्राह्मण ने तहसीलदार थानागाजी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 679/1.84 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मण से करीब 20 हरे पेडों को जे.सी.बी. से उखाड कर अपने घर ले गया। तहसीलदार, थानागाजी द्वारा उक्त श्योदान बलाई पुत्र सेढूराम निवासी जैतपुर ब्राह्मण के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी सीलीबावडी से जाँच रिपोर्ट तलब की। हल्का पटवारी सीलीबावडी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 01.11.2019 प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी द्वारा करीब 17 हरे पेड बिना अनुमति के उखाड दिये। इस सूचना पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा उक्त हरे पेडों को जब्त कर कब्जे राज लिया। अन्त में प्रार्थी तहसीलदार, थानागाजी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा लकडियों को नीलाम किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी असालतन वकालतन [illegible] की ओर से कोई जवाब नही दिया जाकर सीधे बहस का निवेदन किया।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि जब्तशुदा लकडियों को नीलाम किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। दौराने बहस अप्रार्थी ने नियमानुसार कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:18:45 IST
Reason: SelfAttested

4. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.11. 2019 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उखाडे गये हरे पेडों का विवरण निम्न प्रकार है–

खातेदार	खसरा / रकबा	हरे पेडों की संख्या	पेड की किस्म
श्योदान पुत्र सेडा जाति बलाई	679 / 1.84 है0	10	रोंज
		02	बबूल
दाताराम पुत्र गुलाब चन्द जाति नाई	680	02	रोंज
	681	03	रोंज
कुल वृक्ष		17	–

5. किसी व्यक्ति द्वारा हरे पेडों को काटने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अध्याय–08 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अध्याय–08 की धारा–83 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है–

> ***83. Trees not removable except as provided***—*Notwithstanding anything to the contrary in any law custom or-contract no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 84.*

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 के प्रावधानों के अतिरिक्त हरे पेडों के हटाये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरें पेडों को हटाये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है–

> ***84. When and by whom trees may be removed***-
> *(1) Omitted.*
>
> *(2) A Khatedar tenant holding land below the ceiling area may remove trees standing on his holding for any purpose;*
>
> ***Provided that*** *no such tenant shall remove trees for purpose other than his <u>bonafide or agricultural use</u> except with the permission of such authority and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.*
>
> *(3) A Gair Khatedar tenant may, with the previous permission of the Tehsildar, remove any trees standing on his holding for his own <u>domestic or agricultural use</u>.*
>
> *(4) A sub-tenant may, with the previous permission of the person from whom he holds, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.*
>
> *(5) A Khatedar tenant holding land in excess of the ceiling area desiring to remove any trees which vest in him or are in his possession may be removed under permission to be granted by the Sub-Divisional Officer.*
>
> *(6) Upon receipt of an application under sub-section (5), the Sub-Divisional Officer may after making such inquiry as may be necessary in the prescribed manner and taking in to consideration the prescribed matter, grant the requisite*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:18:45 IST
Reason: SelfAttested

licence in the prescribed form on payment of the prescribed fee subject to such terms, restrictions, as may be prescribed.

(7) Nothing in this section shall apply to the State Government or affect the right or power of the State Government to remove or cause to be removed or order the removal of any tree standing on any land entered in the name of the State in Revenue Records for any purpose.

7. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 की उपधारा–02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई खातेदार काश्तकार अपने प्रमाणिक एवं कृषि कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कोई वृक्ष हटा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–84 के प्रावधानों की प्रक्रिया का निर्धारण हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के अध्याय–05 के तहत नियम–24EE लगायत 25 बनाये गये है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम 24जी व 24एच का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है–

***24G. Enquiry and disposal**. - (1) The Tehsildar shall in every case inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of an Inspector, Land Records. The Tehsildar or such Officer, as the case may be, shall clearly indicate in his inspection report (a) total area of holding of the applicant with khasra numbers; (b) number of trees standing on the holding; (c) number of trees sought to be removed; (d) justification for the removal of trees that may be permitted to be removed, and (e) specific reasons which necessitate removal of trees. The inspection report shall be submitted in Form C-I Part III.*

(2) Subject to the conditions laid down in these rules, the Tehsildar, shall, on receipt of such inspection report and after satisfying himself on the merits of the application that the number of trees sought to be removed is not excessive and is commensurate with the purpose for which removal is sought, grant the permission within 15 days of the receipt of the inspection report, but -
(a) The Tehsildar shall permit the removal upto 15 trees subject to the ceiling limit of aforesaid proviso.

(b) If the application is for the removal of more than 15 trees the Tehsildar shall forward the application to the Sub-Divisional Officer concerned alongwith the report. The Sub-Divisional Officer after satisfying himself and subject to the ceiling limits of aforesaid proviso grant or refuse the permission stating the reasons thereof.

(3) The permission shall be valid for a period of 30 days from the date of the sanction, and can be extended for a further period not exceeding of 30 days.

***Provided that** khatedar shall not be allowed to cut more than 10% of the trees standing on his holding in any calendar year.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
तथा
Date: 2023.05.15 20:18:45 IST
Reason: SelfAttested

***24H. Conditions for grant of permission**. - (1) Removal of any tree or class of trees may be granted in following cases: -*
(i) If it will help any work of construction by and on behalf of the village community; or

(ii) If such removal is necessary for the extension of cultivation or other agricultural activities of the tenant; or

(iii) If it will mitigate any real existing grievance of the tenant; or

(iv) If the existing trees Eire dried up and their removal is in the interest of plantation of new trees; or

(v) In the case of fruit trees, if such trees have become over-mature and rot and deterioration having set in; or

(vi) If such trees are so dense that they affect the fertility of the soil or otherwise cause damage to the soil or standing crops, if there be any.

(2) Before grant of permission under these rules, the applicant shall give an undertaking in writing that he shall plant and stabilise two trees in lieu of the one permitted to be cut. The trees shall be planted at the place indicated in the undertaking and if no such place is indicated therein, at the place directed by the Tehsildar. If it is not possible to plant the new trees on the land from where the trees are removed, without causing damage to the land, standing crops, grass or trees or a building of neighbours, the same shall be planted and stabilised at a place directed by the Tehsildar:

Provided that *the condition of planting two trees shall not apply if the permission sought under clause (vi) of sub-section (1) and there is no other part of the holding where such trees could be conveniently planted.*

(3) If the permission is refused, reasons of refusal shall be recorded in writing and communicated to the applicant.

8. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के अध्याय–05 के तहत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.05.1981 द्वारा यथा संशोधित नियम 24जी व 24एच के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक खातेदार को हरे पेड हटाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद जाँच नियम 24एच के तहत शर्ते आरोपित करते हुये नियम 24जी 15 पेडों तक पेड हटाये जाने पर तहसीलदार तथा 15 से अधिक पेड हटाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक वर्ष में खातेदारी आराजी पर लगे हुये समसत पेडों का 10 प्रतिशत से कम पेडों को काटने की अनुमति दी जा सकती है।

9. प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.11.2019 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी तथा अन्य खातेदारों की आराजी में से बिना उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटा दिये। उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत दण्डात्मक प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है–

86. Penalties for unlawful re[illegible] *Whoever contravenes all or any of the provisions of [illegible] or section 84 or any of the terms, conditions or restri[illegible]s of a licence granted thereunder shall be punishable [illegible] Assistant Collector on an application or a report made [illegible]m*

(a) in the case of a first contravention:

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:18:45 IST
Reason: SelfAttested

(i) where a tree has been removed, with fine which may extend to one hundred rupees for each tree that has been removed; and
(ii) in other case, with fine which may extend to one hundred rupees; and
(b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to double the amount of fine that can be imposed under clause (a), ***and*** *any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.*

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकार हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये प्रथम बार के अपराध में अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा द्वितीय बार के अपराध में प्रत्येक वृक्ष के लिये अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार हटाये गये वृक्ष या लकडी को राज्य सरकार के कब्जे राज लेने के प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–84 व 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में अप्रार्थी द्वारा हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये 100 रूपये प्रति वृक्ष का जुर्माना वसूलने तथा जब्त लकडी को नीलाम कर राशि को राज्य सरकार के पेटे जमा कराने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:18:45 IST
Reason: SelfAttested